न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906**

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2533/2026

1. ब्रजेश सोलंकी पुत्र पुष्पेन्द्र उम्र 23 वर्ष
2. मनीष सोलंकी पुत्र गीतम सिंह उम्र करीब 30 वर्ष
3. रूपेन्द्र सोलंकी पुत्र पुष्पेन्द्र सिंह उम्र करीब 24 वर्ष
4. जितेन्द्र सोलंकी पुत्र प्रदीप सिंह उम्र करीब 28 वर्ष
5. पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज पुत्र खजान सिंह उम्र करीब 48 वर्ष
निवासीगण– ग्राम सहारा थाना किरावली जिला आगरा

..... अभियुक्तगण

प्रति

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0: 54/2023
धाराः 147,149,323,452,506 भा.द.सं.
थाना–मलपुरा, आगरा

दिनांकः 03.06.2026

पुलिस थाना मलपुरा जिला आगरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 54/2023 अन्तर्गत धारा– 147,149,323,354ख,325,452,506 भारतीय दण्ड संहिता में वांछित अभियुक्तगण ब्रजेश सोलंकी, मनीष सोलंकी, रूपेन्द्र सोलंकी, जितेन्द्र सोलंकी तथा पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी विलम्ब से लिखाई गयी है। अभियुक्तगण की कोई विनिर्दिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गयी है। प्रकरण में 17 व्यक्तियों द्वारा कथित घटना कारित किया जाना कहा गया है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण दिलीप सोलंकी, गौरव एवं पुनीत सोलंकी की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये बिना, धारा 41क दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस तामील कर, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण को गिरफ्तारी की आशंका है। अतएव अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है। ।

अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी करन सिंह द्वारा थाना मलपुरा, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसके गांव के पुनीत, दीपू, प्रेमसिंह, रामसरन, करन सिंह, पुष्पेन्द्र आदि से काफी समय से रंजिश चली आ रही है, दिनांक 24.09.2022 को समय शाम करीब चार बजे पुनीत, दीपू, रूपेन्द्र, ने बोदला सिकन्दरा रोड पर उसे पकड़कर लाठी, डण्डों और लात घूंसों से बुरी तरह मारपीट की, आसपास के लोगों के इकठ्ठा होने पर वे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। दिनांक 25.09.2022 को शाम करीब चार बजहे गांव के उक्त पुनीत, दीपू, रूपेन्द्र, रामसरन आदि एक राय होकर उसके घर पर पुनः चले आये और जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किये, जिससे वे बाल बाल बच गये। गौरव व लोकेन्द्र ने उसकी मां के कपड़े खींचकर अश्लील हरकतें करते हुए अर्द्ध नग्न कर दिया। मौके पर उसके गांव के पवन आदि बहुत से लोग आ गये। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना मलपुरा आगरा पर अभियोग मु0अ0सं0 54/2023 अन्तर्गत धारा 147,148,149,323,354ख, 452,307,506 भा0दं0सं0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147,149,323,452,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी आगरा के तर्क सुने एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं सह अभियुक्तगण द्वारा वादी एवं उसके परिजनों को मारपीट किया जाना, छेड़खानी करते हुए गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दिया जाना आदि आक्षेपित है।

पत्रावली पर उपलब्ध चुटैलों की उपहति आख्याओं एवं प्रपत्रों के अनुसार यह निर्विवादित है कि विवेचना के दौरान प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307 एवं 148 भा0दं0सं0 का अपराध नहीं पाया गया एवं आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध मात्र धारा 147,149,323,452,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2025 को संज्ञान लिया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं सह अभियुक्तगण पर धारा 41क दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस तामील किया गया तथा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण, गौरव दिलीप सोलंकी एवं पुनीत सोलंकी की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। आरोपित अपराध सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

तदैव मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों ,अपराध की प्रकृति एवं दृष्टिगत आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **ब्रजेश सोलंकी, मनीष सोलंकी, रूपेन्द्र सोलंकी, जितेन्द्र सोलंकी तथा पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें प्रस्तुत मामले में विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 6400/2025 बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आवेदकगण/अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय में **मु0 30,000 रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की **एक** प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करेगा।

आवेदकगण/अभियुक्तगण निम्न शर्तों का अनुपालन करेगे :–

1. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेगे।

2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगे जिससे कि उन्हे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगे।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।
03.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.03 13:46:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court